न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 16/2021–22

सुरेन्द्र कुमार चौधरी बनाम् रैयान मौजा–दरजीकित्ता

–: आदेश :–

21.03.2023

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक सुरेन्द्र कुमार चौधरी, पे0–चन्द्रकान्त चौधरी साकिन–कमराचक, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–5 के तहत मौजा–दरजीकित्ता नं0–207 के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी का पत्रांक–303/रा0 दिनांक–15.07.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–दरजीकित्ता नं0–207 एक खास मौजा है। उक्त मौजा के खतियान एवं पंजी–II में किसी भी पूर्व ग्राम प्रधान का नाम दर्ज नहीं है। साथ ही आवेदक के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे आवेदित मौजा के प्रधानी मौजा होने की पुष्टि हो सके। चूँकि मौजा–दरजीकित्ता एक खास मौजा है एवं प्रधानी मौजा होने के सबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रधानी मौजा घोषित किये बिना उक्त मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–दरजीकित्ता नं0–207 एक खास मौजा होने एवं प्रधानी मौजा नहीं रहने के कारण आवेदक सुरेन्द्र कुमार चौधरी, पे0–चन्द्रकान्त चौधरी साकिन–कमराचक, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा, जिला–गोड्डा के समर्पित आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 21.03.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

(हस्ताक्षर) 21.03.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.28 15:49:38 +05:30
Location: 192.168.8.116

F/Order.